



2026:AHC-LKO:7530-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 12441 सन 2025**

राम नयन पांडे एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनामउत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश
लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	संजय कुमार पांडे, अतुल त्रिपाठी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 25 जनवरी, 2025 को संदर्भ संख्या 2/2019 में पारित आदेश का अनुपालन केवल इस आधार पर नहीं किया जा रहा है कि यद्यपि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, फैजाबाद/अयोध्या के पास धन जमा कर दिया गया है, फिर भी इसका वितरण नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक कोई अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) नियुक्त नहीं किया गया है, जो उनके अनुसार अस्वीकार्य है। वे आगे कहते हैं कि अब अयोध्या/फैजाबाद में अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) नियुक्त कर दिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. दूसरी ओर, स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि राज्य द्वारा अपील दायर की गई है, हालांकि यह विलंबित है, जिसकी प्रथम अपील (दोषपूर्ण) संख्या 143/2025 है, इसलिए राशि का वितरण नहीं किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि उक्त अपील में कोई अंतरिम आदेश नहीं है और वास्तव में अभी तक विलंब को माफ भी नहीं किया गया है।
5. निष्पादन कार्यवाही का निस्तारण दिनांक 06.10.2025 के आदेश में उल्लिखित कारणों से किया जा चुका है। दिनांक 06.10.2025 के उक्त आदेश और इन कार्यवाहियों के निस्तारण पर हम कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि इसे हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, अन्यथा इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता था।
6. हम याचिकाकर्ताओं को उक्त आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं, यदि अन्यथा यह अनुमेय हो, या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे चुनौती देने की अनुमति देते हैं। यदि ऐसा कोई आवेदन वापस लेने के लिए दायर किया जाता है, तो निष्पादन न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि निष्पादन मामले के निस्तारण के लिए दिया गया कारण विधिवत रूप से अनुमेय था या नहीं और फिर निर्णय लेगा। यदि निष्पादन के लिए नया आवेदन स्वीकार्य है, तो उसे दायर किया जा सकता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
7. निस्तारित की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फरवरी 2, 2026

एम.वी.एस./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।